

कायदा परिपत्र सं० - 14/15/26 दि० 02-03-2015

पत्र संख्या- स0द0-टी0डी0एफ0-परिपत्र- 14-15/

2416 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 फरवरी, 2015

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि तकनीकी कारणों से दिनांक 20-02-2015 को समय 11.01 बजे से 16.12 बजे तक ट्रांसपोर्टर/वाहन चालक/व्यापारियों द्वारा डाउनलोड किये गये टी0डी0एफ0-1 में Goods Description में माल का विवरण Save नहीं हो सका है जिससे उक्त अवधि में डाउनलोड टी0डी0एफ0-1 ट्रांजिट संख्या-D20150200240305 से D20150200246739 तक माल का विवरण संबंधित फील्ड में अंकित नहीं है।

उपर्युक्त तकनीकी त्रुटि के कारण प्रान्त बाहर से प्रान्त भीतर होते हुए प्रान्त बाहर जाने वाले परिवहन कर्ताओं के वाहन को विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा न रोका जाय, के संबंध में समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को दिनांक 20-02-2015 को मुख्यालय से उनके सी0यू0जी0 नम्बरों पर निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन की सचलदल इकाईयों को निर्देशित कर दें कि टी0डी0एफ0 से संबंधित मामलों में विधिक कार्यवाही करते समय ट्रांजिट संख्या-D20150200240305 से 20150200246739 तक के टी0डी0एफ0-1 में माल का विवरण अंकित न होने के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष न निकाला जाय।

mu
27.2.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।